Witness No 1 for **आवेदक साक्ष्य** Deposition taken the day of **13.08.2026 (गुरूवार)** witness apparent age **62** Year states on affirmation...**शपथ पर**..my name is **नरसिंह भगत s/o श्री भगतु भगत** occupation **खेती–किसानी** address **ग्राम जामगांव, थाना–लैलूंगा, जिला–रायगढ़ (छ.ग.), हा.मु. उर्दना, तह.व जिला– रायगढ़ ।**

मुख्य परीक्षण द्वारा श्री डी.के. जायसवाल, अधिवक्ता वास्ते आवेदकगण

1. मृतक सत्यनारायण मेरा पुत्र था, आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व की बात है मेरा पुत्र दिनांक 22.11.2022 को शाम 6 बजे जामबहार के कोलताडीपा से रोशन भगत के मोटर सायकल से वापस आते समय पुलिया के पास गड्ढा होने से गाडी से गिर गया जिससे उसे उसके सिर में गंभीर चोट लगी, उसे ईलाज हेतु सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र लैलूंगा ले जाया गया, बाद में उसे रायगढ़ के लिए रिफर कर दिया गया, फिर रायगढ़ के एक प्रायवेट चिकित्सक के द्वारा जिनका नाम मुझे आज याद नहीं है ने मेरे पुत्र को रिफर कर दिया गया, मेरा पुत्र रायपुर में चार–पांच दिन रायपुर के अस्पताल में भर्ती रहा उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई ।

2. मेरे पुत्र सत्य नारायण के ईलाज हेतु मुझे 5–6 लाख व्यय करना पड़ा, मृतक सत्यनारायण का पिता मैं स्वंय हूं तथा उसकी माता मनहारो बाई तथा उसकी पत्नी निर्मला तथा उसकी दो पुत्री आरोही भगत एवं भानवी भगत है । मेरे पुत्र के असमय मृत्यु

हो जाने के कारण हमारा आश्रय छिन गया है । मैंने अपने पुत्र के मोटर दुर्घटना में असमाईक मृत्यु के संबंध में सूची अनुसार दस्तावेज प्रस्तुत किया है जो क्रमशः प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी–01, शव परीक्षण का आवेदन एवं प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2, पंचनामा प्रदर्श पी–03, मर्ग इंटीमेंशन प्रदर्श पी–04, अंतिम जांच प्रतिवेदन प्रदर्श पी–05 उक्त दस्तावेज सत्यापित प्रति है । मृत्यु प्रमाण पत्र की छायाप्रति, अंकसूची, निर्वाचन प्रमाण पत्र, पेन कार्ड, ड्राईविंग लाईसेंस की छायाप्रति, रोशन भगत के वाहन का आर.सी. बुक की छायाप्रति, आर.टी.ओ. द्वारा जारी मोटर सायकल का रजिस्ट्रेशन की छायाप्रति, बीमा पॉलिसी की छायाप्रति, आवेदक क्रमांक 04 का पेन कार्ड, आधार कार्ड की छायप्रति, मनहारो बाई का आई कार्ड, पेन कार्ड और आधार कार्ड की छायाप्रति, निर्मला भगत का पेन कार्ड, आधार कार्ड की छायाप्रति, भानवी भगत का आधार कार्ड की छायाप्रति, आरोही भगत के आधार कार्ड की छायाप्रति, संयुक्त खाते की भूमि ग्राम खम्हार में स्थित होने संबंधी बी.–01 प्रदर्श पी–06, पंचसाला खसरा प्रदर्श पी–07 तथा वी.आई. फार्मेसी के बिल की छायाप्रति पेश किया हूं । हम आवेदकगण को दावा अनुसार क्षतिपूर्ति राशि दिलवाई जावे ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री मुकेश गोयल, अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रं. 02</u>

3. मेरे परिवार में मैं नरसिंह भगत तथा मेरी पत्नी मनोहारो भगत, मेरी बहु निर्मला

भगत तथा उसके बच्चे निवास करते है । मेरे दो पुत्र थे । सत्य नारायण भगत मेरा द्वितीय पुत्र है, मेरा बड़ा पुत्र लैलूंगा में अलग रहता है । मेरा बड़ा पुत्र लकवाग्रस्त है उसका हाथ–पैर नहीं चलता है । मेरे बड़े पुत्र के दो पुत्र है । मेरी एक पुत्री है जिसका विवाह हो गया है ।

4. दुर्घटना के समय मेरा पुत्र जिस मोटर सायकल को चला रहा था उसका नम्बर मुझे नहीं मालूम, मोटर सायकल रोशन भगत की थी । यह कहना गलत है कि मेरे पुत्र के पास ड्राईविंग लाईसेंस नहीं था । यह कहना सही है कि मैं घटना होते हुए नहीं देखा हूं । यह कहना सही है कि घटना की रिपोर्ट मेरे स्वयं के द्वारा नहीं लिखाई गई है । घटना की रिपोर्ट कब लिखाई गई मुझे जानकारी नहीं है ।

5. यह कहना सही है कि दुर्घटना दिनांक 22.11.2022 के बाद दिनांक 10.02.2023 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई । इधर उधर व्यस्थ रहने के कारण घटना की रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई । यह कहना सही है कि मेरा मृतक पुत्र सत्यनारायण कोई काम काज नहीं करता था बेरोजगार था । यह कहना सही है कि दुर्घटना के समय मेरी पुत्र की उम्र 40 वर्ष थी ।

6. रोशन भगत मेरा भतीजा लगता है वह मेरे बड़े भाई का पुत्र है । यह कहना सही है कि अनावेदक क्रमांक 01 रोशन भगत और हम लोग एक ही गांव के है । यह कहना सही है कि मेरा पुत्र रोशन की मोटर सायकल को मांग कर ले गया था । रोशन और हम लोग

अलग–अलग घर में रहते है परन्तु हम लोग एक ही परिवार के है ।

7. यह कहना सही है कि मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रदर्श पी–06 का बी.–01 संयुक्त परिवार के खाते का है । यह कहना गलत है कि दुर्घटना के समय मेरा पुत्र हेलमेट नहीं लगाया था यदि पुलिस के अभियोग पत्र में हेलमेट की जप्ती नहीं की गई है तो मैं उसका कारण नहीं बता सकता । दुर्घटना के समय मेरा पुत्र रोशन भगत के मोटर सायकल को अकेले चलाकर ला रहा था । यह कहना गलत है कि मेरे पुत्र के ईलाज और उसमें हुए खर्च के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया हूं । यह कहना गलत है कि मैं क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए आज असत्य कथन कर रहा हूं ।

<u>प्रतिपरीक्षण द्वारा श्री श्याम चंद्रा ,अधिवक्ता वास्ते अनावेदक क्रं. 01</u>

8. कुछ नहीं ।

साक्ष्य समय– 3.45 से 4.25 बजे तक

गवाह को बयान पढ़कर सुनाया गया
उसने सही होना स्वीकार किया ।

मेरे निर्देशानुसार टंकित

सही/–
(श्याम कुमार साहू)
पंचम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
रायगढ़ (छ०ग०)

सही/–
(श्याम कुमार साहू)
पंचम अपर मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण
रायगढ़ (छ०ग०)

SHYAM KUMAR SAHU
Digitally signed by SHYAM KUMAR SAHU
Date: 2026.08.13 17:14:09 +0530